

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

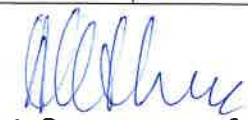
1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC अनुशंसित / पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परीवेश	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण						
1.	9471/2022	1 (c)	Ramghat Dam (Chhindwara Irrigation Complex Scheme),	For ToR		स्वीकृत
2.	9376/2022	1 (a)	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
3.	9480/2022	1 (a)	पत्थर एवं एम सेण्ड खदान	For ToR		स्वीकृत
4.	9483/2022	1 (a)	मुरुम खदान	For ToR		स्वीकृत
5.	9489/2022	1 (a)	डोलोमाईट खदान	For Delist		Closed
6.	9492/2022	1 (a)	पत्थर खदान	For ToR		स्वीकृत
7.	9481/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्पष्टीकरण एवं पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
8.	9403/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
9.	9479/2022	1 (a)	मुरुम खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
10.	9482/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
11.	9484/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
12.	9488/2022	1 (a)	मिट्टी खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
13.	9485/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्पष्टीकरण


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

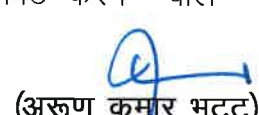
14.	9361/2022	1 (a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति	स्पष्टीकरण
15.	9364/2022	1 (a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
16.	9386/2022	1 (a)	रेत खदान	For Delist	Delisted
17.	8919/2022	1 (a)	बॉक्साईट खदान	For Delist	Delisted
18.	9329/2022		Expansion of existing dye and dye intermediates unit	For Delist	Delisted
19.	8934/2022	1 (a)	मुरुम खदान	For Delist	Delisted
20.	8769/2021	1 (a)	लाईमस्टोन खदान	For Delist	Delisted
21.	9401/2021	1 (a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
22.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट इंदौर (अन्य गौण खनिज रेत को छोड़कर)			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
B. नीतिगत निर्णय					

1. **Case No. 9471/2020:** Prior Environment Clearance for Ramghat Dam (Chhindwara Irrigation Complex Scheme), Ramghat Dam is proposed to be constructed in the Kanhan Sub basin across Kanhan River, Chhindwara District to Irrigate 65,000 Ha CCA in Sausar and Pandurna tehsils of Chhindwara District, Madhya Pradesh by Office of the Executive Engineer, Water Resources Division Chhindwara (MP)-480001 Category: 1(c) River Valley Project. Env. Con. M/s. R.S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd., Gurgaon.

- उक्त परियोजना रामघाट बांध छिंदवाड़ा सिंचाई परिसर योजना के अंतर्गत पूर्व पर्यावरण स्वीकृति का प्रकरण है, जिसे छिंदवाड़ा जिले के सौसर और पांडुरना तहसीलों में 65,000 हेक्टेयर सीसीए की सिंचाई के लिए कान्हान नदी के कान्हा उप बेसिन में बनाने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- प्रस्तावित रामघाट बांध की क्षमता 200 एमसीएम है, बांध की अनुमानित लंबाई 2190 मीटर है। परियोजना में नवीनतम तकनीक टर्बाइन का उपयोग कर लगभग 25 मेगावाट जलविद्युत का उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है।
- रामघाट बांध का कुल डूब क्षेत्र 1470 हेक्टेयर है जिसमें से 1050 हेक्टेयर forest land, 298 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 122 हेक्टेयर निजी भूमि है। छिंदवाड़ा जिले की सौसर तहसील के तीन ग्रामों छिंदबोह, जोबनी एवं खापा की निजी भूमि डूब क्षेत्र के अंतर्गत है।
- कमांड एरिया में पानी उठाने के लिए दो पंप हाउस का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है, पहला पंप हाउस से 3.63 क्यूमेक्स पानी लिफ्ट करने वाले पंपों को चलाने में 7.58 मेगावाट की खपत होगी इसमें छिंदवाड़ा जिले के पांडुरना तहसील, 13 गांवों का 11000 हेक्टेयर एरिया शामिल है। दूसरा पंप हाउस से 17.82 क्यूमेक्स पानी लिफ्ट करने वाले पंपों को


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

चलाने के लिए 56.00 मेगावाट बिजली की खपत होगी जिसमे छिंदवाड़ा जिले के सौसर तहसील में 125 गांवों को कवर करते हुए 54000 हेक्टेयर एरिया शामिल होगा ।

5. निकटतम संरक्षित क्षेत्र अर्थात पेंच राष्ट्रीय उद्यान की दूरी 31.85 किमी है जो कि है 10 किमी से अधिक, इस प्रकार, इस परियोजना के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लागू नहीं है एवं परियोजना **general conditions** से परे है।
6. संपूर्ण प्रस्तावित बांध और कमान क्षेत्र के विकास की लागत 1230 करोड़ रुपये अनुमानित है।
7. उक्त प्रकरण को राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक 614वीं दिनांक 23.12.2022 में ToR स्वीकृति हेतु अनुशंसित किया गया, उक्त बैठक की कार्यवाही विवरण पृष्ठ क्र. 04 से 06 तक अंकित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा **eco sensitive area , forest area** से संबंधित समय -समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख EIA में करे।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- iii. **site specific mangement plan** का विस्तृत अध्ययन कर EIA में उल्लेख करे ।
- iv. **sand** की कमी को देखते हुए **sand** के पुर्नउपयोग का प्रावधान को EIA में उल्लेख करे ।
- v. प्रारंभिक पम्पिंग स्टेशनों से अंतिम वितरण बिंदु तक पानी के नुकसान का विवरण ईआईए रिपोर्ट में करे ।

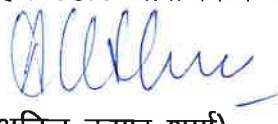
परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र 9376/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स खुशी स्टोन क्रेशर, प्रोपराईटर, श्रीमती चारु यादव पत्नी श्री मनोज यादव, निवासी मकान नं. 02, स्नेह नगर कॉलोनी, इंदौर रोड़, जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 28500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.60 हेक्टेयर, खसरा 748, 749, ग्राम नहाल्दा, तहसील खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

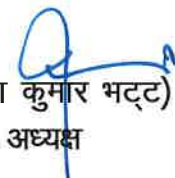
- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

- XII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में स्थापित क्रेशर एवं क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्टले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 9480/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स मॉ नर्मदा एग्रीगेट्स प्रा.लि. पार्टनर, श्री अजय मोदी आत्मज श्री परमांद दास मोदी, निवासी यू.जी. -47, 18, साउथ तुकोगंज, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 15000 एवं एम सेण्ड 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 2/2, ग्राम रावद, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्क्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।

- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

4. प्रकरण क्र. 9483/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती काली बाई पत्नी श्री नानालाल वसुनिया, निवासी 62, सारनाथ कॉलोनी, बिजलपुर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 80000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 8.322 हेक्टेयर, खसरा 237, ग्राम मालाखेड़ी, तहसील सावेर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

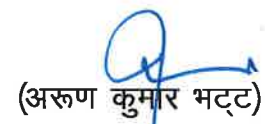
- VII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- VIII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 9489/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गोविंद कोल प्रा.लि., निदेशक, श्री मुकेश खुराना, निवासी 217/1, रफी अहमद किदबई वार्ड 15, दुबे कॉलोनी, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 49996 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.840 हेक्टेयर, खसरा 521, ग्राम गुबराधरी, तहसील मुडवाड़ा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित निर्णय लिया गया:—

“.....प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वे किसी कारणवश अपने इस प्रकरण को वापस लेना चाहते हैं जिस बावत् उन्होंने लिखित में अनुरोध पत्र दिनांक 23/12/22 के माध्यम से किया है तथा पत्र की प्रति प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान किये गये निवेदन को मान्य करते हुये उक्त प्रकरण डी-लिस्ट करने की कार्यवाही हेतु किये जाने हेतु सिया भेजने का निर्णय लिया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Close** किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 9492/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती किरन सोलिया पत्नी श्री मान सिंह सोलिया, निवासी जे-723, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 57000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.040 हेक्टेयर, खसरा 169, ग्राम सुमेरपाड़ा, तहसील मुरार, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :—

- I. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

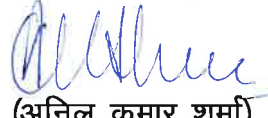
**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

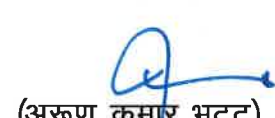
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये।
- VIII. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- IX. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- X. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 9481/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार आत्मज शोभाराम पाटीदार, निवासी 465, वार्ड नं. 07, गांधी मार्ग, बस स्टेण्ड, अजंड, रेवन्सू एरिया, जिला बड़वानी (म.प्र.) द्वारा पत्थर


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25080 घन प्रतिवर्ष, रकबा 1.950 हेक्टेयर, खसरा 161, ग्राम पलासिया, तहसील अजंड, जिला बड़वानी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माइनिंग प्लान के अक्षांश देशांश के आधार पर गूगल ईमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में दो अन्य खदान प्रकरण क्र. 9395 (2.0 हे) एवं 6581 (3.0 हे) खदान स्वीकृत/संचालित है इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 6.90 हेक्टेयर होता है, किन्तु कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बड़वानी द्वारा जारी पत्र क्र. 699 दिनांक 28.07.2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान 3.0 हेक्टेयर की होना बताया गया है।

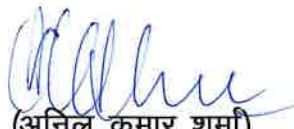
अतः कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तावित खदान 500 मीटर की परिधि में स्वीकृति/संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक जानकारी 15 दिवस में सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए प्रतिलिपि SEIAA को प्रेषित की जाये एवं प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9403/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गंगा स्टोन क्रेशर समिति, श्री अशोक अहिरवार, निवासी हनुमान मंदिर के सामने, तिली वार्ड, सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10260 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 93, ग्राम मझगुवा, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

".....परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर आवांठित है जिसके पूर्व दिशा में 135 मीटर पर आबादी है जिस कारण पूर्व दिशा में 70 मीटर का सेट बैक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा 160 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा में एक प्राकृतिक नाला स्थित है तथा लीज एरिया में स्थित 01 पेड़ को काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 10 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का दक्षिण भाग कुछ खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको पूर्व में 02/11/12 से 01/11/22 तक स्वीकृत थी जिसमें खनन कार्य एक से दो वर्ष किया गया था तथा उसके पश्चात् पारिवारिक समस्याओं के कारण खदान बंद रही जिसका उल्लेख माइन प्लान में किया गया है


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

मेरे द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी इसके पश्चात् खदान का नवकरण कराया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ।.....”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में किये गये उत्खनन के संबंध में दी गई जानकारी अनुसार प्रकरण Violation की श्रेणी के अंतर्गत आता है अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसा हेतु प्रकरण SEAC को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र 9479/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री तौसिफ अजमुद्दीन खान, निवासी ग्राम बालसमुंद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष रकबा 2.0 हेक्टेयर खसरा 232 ग्राम बालसमुंद, तहसील कसरावद जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, सीताफल, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू आदि।	500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	200


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	नीम, पीपल, आम, जामुन, अमरुद, आंवला, अनार, निम्बू, मुनगा, कटहल, आदि	1700
		कुल	2400

IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम बालसमुद के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 मेडिकल बेड एवं 4 सीटर वेटिंग चेयर उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

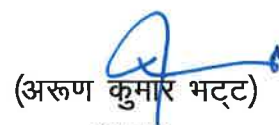
परियोजना प्रस्तावक श्री तौसिफ अजनुद्दीन खान, निवासी ग्राम बालसमुंद, तहसील कसरावद, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5000 घन प्रतिवर्ष रकबा 2.0 हेक्टेयर खसरा 232 ग्राम बालसमुंद, तहसील कसरावद जिला खरगौन (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म का आदेश क्र. 10259-60 दिनांक 29.07.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 28.07.2032 तक मान्य रहेगी।

10. प्रकरण क्र 9482 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता रावत पत्नी श्री विश्राम रावत, निवासी ग्राम डमेजर तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 11, 1302 मिन-2, 1303, 1308, ग्राम टिकटोली दुमदार, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(मुजीबुर्हमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जायें।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, पीपल, करंज, सीताफल, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	420
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	300
3	अरेनिया बाबा का मंदिर परिसरवाले पौधे लगाए जायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	300
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	1380
कुल			2400

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम परसोटा के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 04 मेडिकल बेड एवं 6 सीटर वेटिंग चेयर उपलब्ध कराये जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुनीता रावत पत्नी श्री विश्राम रावत, निवासी ग्राम डमेजर तहसील कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 10000 घन प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 11, 1302 मिन-2, 1303, 1308, ग्राम टिकटोली दुमदार, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना का पत्र क्र. 625 दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 18.05.2032 तक मान्य रहेगी।

11. प्रकरण क्र. 9484 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील श्रीवास्तव आत्मज विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी एल.आई.जी.-2, 296 हनुमान मंदिर के सामने किटयानी कॉलोनी, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 113 (एस), ग्राम रमणा, तहसील बडवाहा, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. खरगौन जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान की जानकारी सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले कच्ची सड़क से 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित 05 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- जंगल जलेबी, चिरोल, नीम, खमेर, सीताफल, कैस्टर, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- पीपल, करंज, सप्तपर्णी, चिरोल, बरगद, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू, खमेर आदि।	200
3	दूसरे वर्ष में ग्राम रामाना के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- कदम, पुत्रंजीवा, मोलश्री, पपीता, आम, मुनगा, कटहल, आवला करंज आदि।	60
4.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे:- मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	500
5	शमशान घाट	नीम का वृक्षारोपण	140
कुल			1200

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण

- ग्राम रमन्ना के शासकीय प्राथमिक शाला की मरम्मत एवं पुताई की जाये तथा 20 बेन्च डेस्क, 02 कुर्सियां व 02 टेबल उपलब्ध कराई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील श्रीवास्तव आत्मज विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, निवासी एल.आई.जी.-2, 296 हनुमान मंदिर के सामने किटयानी कॉलोनी, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 113 (एस), ग्राम रमणा, तहसील बडवाहा, जिला खरगौन (म.प्र.)। कार्यालय संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के आदेश क्र. 12864-65 दिनांक 22.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 21.09.2032 तक मान्य रहेगी।

12. प्रकरण क्र. 9488 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कुलसुम निबरान पत्नी श्री शब्बीर निबरान निवासी ग्राम रायपुर, तहसील खलवा, जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.390 हेक्टेयर, खसरा 68, ग्राम रायपुर, तहसील खलवा, जिला खंडवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले **कच्ची सड़क एवं प्राकृतिक नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक** "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीमांकन के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र में मौजूद जीवित 02 वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मिट्टी का भंडारण नहीं किया जायेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहा तक संभव हो परंपरागत उर्जा स्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का उपयोग सुनिश्चित किया जाये।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अवधि तक किया जावेगा।

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- आम खमेर, पीपल, चिरोल, नीम, सीताफल, जंगल जलेबी, सिस्सू, करंज आदि।	400
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- पीपल, करंज, चिरोल, पुत्रंजीवा, नीम, सिस्सू आदि।	100
3	ग्राम रायपुर के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	जैसे:- पुत्रंजीवा, मोलश्री, आम, मुनगा, कटहल करंज, आवला आदि।	50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:- मुनगा, आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन आदि।	1130
कुल			1680

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम रायपुर के शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 02 व्हील चेयर उपलब्ध कराई जायें।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक श्रीमती कुलसुम निबरान पत्नी श्री शब्बीर निबरान निवासी ग्राम रायपुर, तहसील खलवा, जिला खंडवा (म.प्र.) द्वारा मिट्टी खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.390 हेक्टेयर, खसरा 68, ग्राम रायपुर, तहसील खलवा, जिला खंडवा (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खंडवा का पत्र क्र. 690 दिनांक 14.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 10 वर्ष हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 13.09.2032 तक मान्य रहेगी।

13. प्रकरण क्र. 9485 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम आंजना आत्मज श्री मोहनलाल आंजना, निवासी ग्राम केसुंदा, तहसील छोटी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 20000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.0 हेक्टेयर खसरा 249, ग्राम भीमाखेड़ी तहसील जीरन, जिला नीमच (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के हेतु अनुशंसा की गई है।

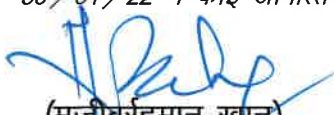
उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन क्षेत्र में 08 पेड़ लगे हैं जिसमें से बैरियर झोन पर लगे एक पेड़ को छोड़कर शेष 07 पेड़ काटे जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज में 70 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

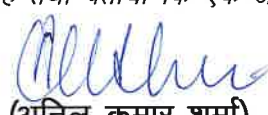
अतः प्रकरण में SEAC द्वारा अनुशंसित 70 पौधों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की किये जाने के उपरांत ही पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

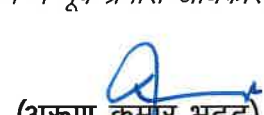
14. प्रकरण क्र. 9361/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रकाश स्टोन इंडस्ट्रिज, प्रोपराईटर श्री जय प्रकाश अग्रवाल, निवासी जैतहरी जिला अनूपपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष रकबा 3.089 हेक्टेयर, खसरा 512/8/क. 543/1, ग्राम मझगंवा, तहसील पुष्पराजगढ़, जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने के हेतु अनुशंसा की गई है।

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार " प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डलाधिकारी द्वारा पूर्व में जारी पत्र क्रमांक 419 दिनांक 30/01/22 में कोई आपत्ति नहीं ली है तथा बताया कि एक अन्य प्रकरण में पूर्व प्रभारी अधिकारी, पर्यावरण


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

नियोजना एवं समन्वय संगठन द्वारा जारी पत्र क्रमांक 500 दिनांक 28/04/2011 में यह उल्लेखित किया है कि 'बायोस्फियर रिजर्व एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है' अतः हमारे प्रकरण में इस आधार पर हमको अनुमति प्रदान की जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये ए.डी.एस के उत्तर के संबंध में परीक्षण उपरांत समिति की अनुशंसा है कि बायोस्फियर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों के संबंध में अंतिम निर्णय सिया द्वारा वर्तमान में जारी दिशा-निर्देशों एवं स्थल विशेष के अनुसार लिया जाये तथा इस प्रकरण को पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा अनुसार निर्णय लिया गया कि उक्त खदान बायोस्फियर रिजर्व के 97 ग्रामों की सूची में सम्मिलित है के संबंध में कलेक्टर जिला अनूपपुर से 15 दिवस में स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि उक्त खदान को पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति तो नहीं है। आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर वन विभाग के माध्यम से स्थल निरीक्षण कर अनुशंसा प्राप्त की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 9364/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री नवनीत चौकसे आत्मज तुलसीराम चौकसे, निवासी परासिया, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 5016 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 1 / 18. ग्राम गाजनडोह, तहसील उमरेठ, जिला छिंदवाड़ा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

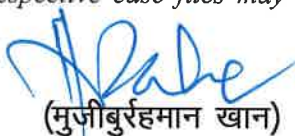
".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

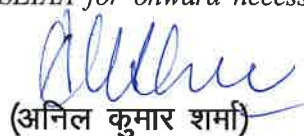
16. प्रकरण क्र. 9386/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स शर्मा एसोसियेट श्री दिनेश सेन आत्मज श्री हल्के प्रसाद सेन प्रोपराईटर देवरी राजमार्ग, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) - 487330 द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष रकबा 20 खसरा नं. 01. ग्राम छितौहरा तहसील पाटन जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

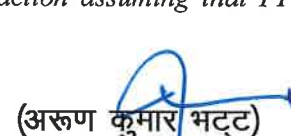
".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र 8919/2022 परियोजना प्रस्तावक यश लोजिस्टिक प्रा.लि., प्रथम तल, ब्लॉक नं. 3, नगर सुधार न्यास भवन, जबलपुर रोड़, भरगावन, जिला कटनी (म.प्र.) – 483501 द्वारा बॉक्साईट खदान, उत्पादन क्षमता 9781, रकबा 20.151 हेक्टेयर, खसरा 156, 159, 160 161 162/1 162/2 163 164/1 164/2, 164/3, 164/4, 165, 166, 167, 168, 169/1 170, 173. 174, 175. 176, 177 178, 179, 180, 181 182 183, 186, 187, 189, 234/1 234/2, 235, 236, 237 239, 240 241 242 243, 244 245, 248, 372, 249, ग्राम बघरेली शानी, तहसील बजग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

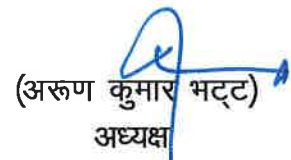
18. प्रकरण क्र. 9329/ 2022 M/s Vini Industries Private Limited, Shri Alpesh Patel, Managing Director, Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Tehsil - Meghnagar, Dist. Jhabua, MP, Prior Environment Clearance for expansion of existing dye and dye intermediates unit at Plot No. 125, AKVN Industrial Estate, Meghnagar, Dist. Jhabua, MP

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 8934 / 2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वीर विक्रम सिंह आत्मज श्री राज्यवर्धन सिंह, निवासी भानू पैलेस, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) श्री द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि). उत्पादन क्षमता 25050 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 20 हेक्टेयर, खसरा 507/2 ग्राम जमौन्या जौहार, तहसील नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

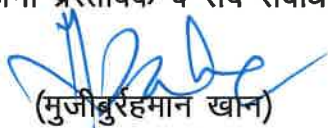
राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

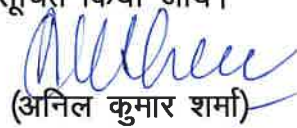
20. प्रकरण क्र. 8769 / 2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स वंडर सीमेंट लि. संचालक श्री परमानंद पाटीदार, 17 ओल्ड फतेहपुरा, सेवा मंदिर, जिला उदयपुर (राजस्थान)-313004 द्वारा लाईमस्टोन खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), विस्तार उत्पादन क्षमता लाईमस्टोन 200000 टन प्रतिवर्ष एवं सबग्रेड / स्क्रिन रिजेक्ट 15055 टन प्रतिवर्ष, रकबा 44.293 हेक्टेयर खसरा 1 2/1 2/2 4/1 4/2 4/3 4/4 / 1 4/4 / 2,4/4/3,4/4/4,4/4/5,4/5,30, 37 40/1 41/1 41/242/1, 44, 45, 46 47 48 ग्राम कोसदाना, तहसील गंधवानी जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

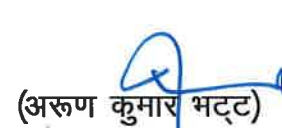
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

21. प्रकरण क्र. 9401/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बदवार महुगंज रोड़ प्रोजेक्ट प्रा.लि. निदेशक, श्री संजय सिंह निवासी 1180 यूनिवर्सिटी रोड़, साउथ सिविल लाईन, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 194356 प्रतिवर्ष रकबा 350 हेक्टेयर, खसरा 444 (पी). ग्राम अमिलिहा तहसील गुढ़, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वी बैठक दिनांक 23.12.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

".....The committee deliberated on the above and was of opinion that if PP's are not submitting desired information even after 60 days of appraisal their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को **Delist** किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

22. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, इन्दौर (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/2022 में इन्दौर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (अन्य गौण खनिज – रेत को छोड़कर) में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है :

"..... संबंधित जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया कि उपरोक्त जानकारी का शीघ्र अतिशीघ्र समावेश कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज अधिकारी राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) के समक्ष स्वयं प्रस्तुत करे ताकि शीघ्र अतिशीघ्र इसका अनुमोदन कर अनुशंसा सिया को प्रेषित की जा सके । "

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि **SEAC** की 614वीं बैठक दिनांक 23.12.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि जिला कलेक्टर इन्दौर को सूचित किया जाये कि **SEAC** द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फॉर्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही **SEAC** को प्रेषित करते हुए **SEIAA** को भी प्रति प्रस्तुत करें। तदनुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये। प्राधिकरण ने वांछित जानकारी प्रस्तुत करने पर हो रहे विलम्ब पर अप्रसन्नता व्यक्त की।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

B. नीतिगत निर्णय

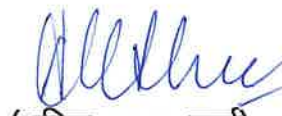
1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ.ए. नम्बर 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07.12.2022 में दिये गये निम्नानुसार निर्देशों के परिपालन बावत् :-

".....14. Further, this Tribunal has observed that mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA in view of amendment notification dated 15.01.2016 are still continuing even after passing of order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) and issuance of OM dated 12.12.2018 by MoEF&CC without any re-appraisal by SEIAA and appropriate remedial action on the basis of such re-appraisal. All such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA need to be brought in consonance with the directions given by Hon'ble Supreme Court in Deepak Kumar (supra) and order dated 13.09.2018 by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal by SEIAA and only such mining leases may be continued which have been on re-appraisal granted environmental clearance by SEIAA. MoEF&CC is, therefore, directed to take appropriate steps for compliance in this regard by issuance of requisite directions in exercise of the statutory powers under the Environment (Protection) Act, 1986. For this purpose, **MoEF&CC is directed to collect information regarding such mining leases in which environmental clearance was granted by DEIAA and the period of which has not yet expired and are still continuing in all the States and Union Territories and by issuing appropriate directions for compliance with directions given by Hon'ble passed by this Tribunal in Satendra Pandey (supra) by re-appraisal for grant of EC by SEIAA.....**

परिपालन में प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- i. माननीय एनजीटी के उक्त आदेश दिनांक 07.12.2022 में DEIAA द्वारा जारी की गई पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों का SEIAA द्वारा पुनः परीक्षण (re-visit) किया जाना निर्देशित है। ऐसे प्रकरणों, जिनमें DEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति जारी की गई है एवं खदानें संचालित हैं, की सूची 15 दिवस की अवधि में SEIAA को प्रस्तुत करने हेतु म.प्र. राज्य खनिज निगम, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म भोपाल एवं समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र प्रेषित किया जाये तथा यह भी सूचित किया जाये कि समस्त परियोजना प्रस्तावकों को द्वारा परिवेश पोर्टल पर पर्यावरण स्वीकृति के नवीन आवेदन प्रस्तुत किये जायें।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण**

परिशिष्ट-1

गौण खनिज (रेत खनिज के अतिरिक्त) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले प्रमुख हवा की दिशा की ओर घने वनीकरण (तेजी से बढ़ने वाली पेड़ प्रजातियों) के साथ विंड ब्रेकिंग वॉल जी.आई. शीट (4 मीटर ऊंचाई तक) की स्थापना खनन क्षेत्र के चारों ओर की जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
3. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पट्टा क्षेत्र की परिधि में 7.5 मीटर के परिधि क्षेत्र को "नो माइनिंग जोन" के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उद्देश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।
6. खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पट्टा क्षेत्र का उचित भू-दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।
9. परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टे की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
10. परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।
11. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डन और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
12. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खनि पट्टा क्षेत्र के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण

13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
14. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
17. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
18. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।

खनन के ऐसे प्रकरण जिनमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित है में निम्नानुसार शर्तें लागू होंगी :-

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल तरंगों (L Wave) के कंपन प्रभाव को कम करने के लिए विलंबित डेटोनेटर (Delayed Detonator) का उपयोग करके ब्लास्टिंग प्रक्रिया करेगा एवं बोर हेतु 34 मिमी और 83 मिमी ब्लास्टिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जायेगा
20. अधिकृत विशेषज्ञ संस्था के माध्यम से रॉक लाइमस्टोन/बलुआ पत्थर/ग्रेनाइट/स्टोन आदि का प्रमाणन/अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें जिसमें कि यह प्रतिपादित हो सके कि खनिज रासायनिक, सीमेंट और फर्श आदि जैसे अन्य उद्योगों के लिए अनुपयुक्त है एवं इसे गिट्टी एवं कंकरी बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
21. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरी के रखरखाव हेतु उचित योजना सुनिश्चित की जायेगी।

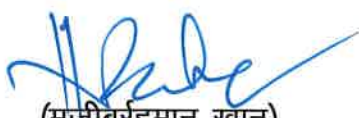

(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 766वी बैठक दिनांक 11.01.2023
का कार्यवाही विवरण

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष